

समाहर्ता या समाहर्ता सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम 30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी०एल०२० साहेबगंज 34 /2017-18/ 588 /मू०अ०, दिनांक-09.12.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-समदानाला, थाना-साहेबगंज, थाना सं०-01, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-समदानाला, थाना-साहेबगंज, थाना सं०-1, अंचल-साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.49 एकड़ यानि -----1.007---- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता (पंजी-11/ वर्तमान दखलदार रैयत के आधार पर)	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		33	रैयती	बाग आम	0.44	राधा मिस्त्री, पुरानी साहेबगंज	I.W.A.I. बंदरगाह के लिए पूर्व में प्रस्तावित भूमि	मौजा-हाथीगढ़ सड़का का सिमाना	खेसरा नं०-43p, 444p, 45p, 49p, 48p, 58p, 59p	खेसरा नं०-42p, 55p, सड़क, खेसरा नं०-58p, 33p
2		33	रैयती	बाग आम	0.10	परसुराम पिता-स्व० केशो यादव				
3		42	रैयती	बाड़ी-1	0.17	अशोक यादव पिता-स्व० यमुना प्र० यादव				
4		42	रैयती	बाड़ी-1	0.19	भीम यादव पिता-स्व० राज कुमार यादव				
5		42	रैयती	बाड़ी-1	0.06	1.अमृता देवी, पति-राजीव कु० यादव 2. भोला यादव पिता-स्व० गंगा सागर यादव				
6		43	रैयती	बाड़ी-2	0.035	गोरखनाथ यादव पिता-स्व० श्री कृष्ण यादव				
7		44	रैयती	बाड़ी-1	0.09	शिवनाथ गडेरी				
8		45	रैयती	मकान	0.005	शिवनाथ गडेरी				
9		49	रैयती	मकान	0.05	शिवनाथ गडेरी				
10		48	रैयती	मकान	0.005	शंभु यादव पिता-स्व० सूरजनाथ यादव				
11		50	रैयती	बाड़ी-1	0.05	राजाराम गडेरी				
12		51	रैयती	बाड़ी-1	0.04	शिवनाथ गडेरी				
13		52	रैयती	बाड़ी-1	0.04	रजीया बीबी				
14		53	रैयती	मकान	0.01	रजीय बीबी				
15		54	रैयती	मकान	0.04	महन्त यादव				
16		55	रैयती	बाड़ी-1	0.07	महन्त यादव				
17		58	रैयती	बाड़ी-1	0.1162	अमरनाथ यादव पिता-स्व० दिलराम यादव				
18		58	रैयती	बाड़ी-1	0.13	भीम यादव पिता-स्व० विश्वनाथ यादव				
19		58	रैयती	बाड़ी-1	0.13	अर्जुन यादव				
20		58	रैयती	बाड़ी-1	0.0438	शंभु यादव पिता-स्व० सूरजनाथ यादव				
21		57	रैयती	मकान	0.12	कविता देवी पति-राम निवास यादव				
22		59	रैयती	बाड़ी-1	0.045	अर्जुन यादव पिता-स्व० विश्वनाथ यादव				
23		59	रैयती	बाड़ी-1	0.04	सुरेन्द्र यादव पिता-स्व० विश्वनाथ यादव				

24	71	रैयती	बाड़ी-2	0.08	मोहनलाल मारवाडी	Aqaria land of Terminal Plot No-71p. 75p, 78p, 74p, 75p	Road	Plot No-107p, 108p	Aqaria land of Terminal and Road
25	73	रैयती	वगान	0.07	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				
26	74	रैयती	मकान	0.07	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				
27	78	रैयती	बाड़ी-1	0.12	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				
28	77	रैयती	मकान	0.02	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंशी गोप				
29	75	रैयती	बाड़ी-1	0.05	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंशी गोप				
30	76	रैयती	मकान	0.06	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंशी गोप				
कुल रकवा-				2.49					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्वक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक/भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 588/भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 9.12.2017

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।